(77)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–3535–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–09–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक–257/अ–6 निग0/2010–11

.....

1– रामप्रपन्न तनय स्व0 रामानन्द

2– सवित्री पत्नी स्व0 रामानन्द

3– रामसजीवन तनय स्व0 रामानन्द

सभी निवासी–ग्राम हर्दी, तहसील गुढ़

जिला–रीवा(म0प्र0)

4– विमला पुत्री स्व0 रामबक्स पत्नी दीपू द्विवेदी

निवासी– ग्राम सकरवट, तहसील हुजूर, जिला–रीवा

————आवेदकगण

विरूद्ध

1– आत्मानंद तनय रामानुज

2– भैयालाल तनय स्व0 जगदीश

3– मुन्द्रिका प्रसाद तनय स्व0 जगदीश

4– रमाशंकर तनय स्व0 नागेश्वर प्रसाद

सभी निवासी– ग्राम हर्दी, तहसील गुढ़

जिला–रीवा(म0प्र0)

5– कमलेन्द्र तनय भैयालाल

निवासी– ग्राम टौगा टोला, तहसील गुढ़

जिला–रीवा (म0प्र0)

6– पटवारी हल्का बड़गांव, तहसील गुढ़, जिला–रीवा, म0प्र0

————अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 से 5
शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र0 6

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/1/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–09–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार गुढ़ के न्यायालय में ग्राम बड़ागांव तहसील, गुढ़ जिला–रीवा स्थित आराजी खसरा नंम्बर 2477/1 रकबा 0.15 एकड़, 2477/2 रकबा 0.43 एकड़ 248/1 रकबा 0.88 एकड़, 2488 रकबा 0.48 एकड़ 2489 रकबा 0.18 एकड़ 2490 रकबा 0.63 एकड़ कुल किता 6 रकबा 2.75 एकड़ के नामान्तरण हेतु संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत आवेदन पेश किया गया। तहसीलदार गुढ़ द्वारा नामांतरण प्रकरण में सुनवाई पश्चात जरिये प्र0 क्र0 38/अ6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2007 से नामांतरण आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गुढ़ में दिनांक 03.04.2008 को संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी, गुढ़ द्वारा अपीलीय प्रकरण में सुनवाई की गई तथा अपीलीय आवेदन समयबाधित मानकर आलोच्य आदेश दिनांक 08.03.2011 से अनावेदकगण की अपील खारिज कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 257/अ6(निग0)/2010–11 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 26.09.2012 द्वारा निगरानी स्वीकार की गई तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, गुढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर, प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के

आधार पर करते हुये विधिसंगत आदेश पारित करें। अपर कलेक्टर, रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2012 पूर्णतया विधि विधान के प्रतिकूल है। तहसीलदार गुढ़ द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 30.03.07 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गुढ़ के न्यायालय में अपील क्र0 38/अ—6/2007—08 प्रस्तुत की गई थी। सुनवाई उपरांत अनुविभागीय अधिकारी, गुढ़ द्वारा अवधि बाह्य मानकर दिनांक 08.03.2011 को निरस्त कर दिया, जिसके कारण उक्त आदेश दिनांक 07.03.2011 के विरूद्ध निगरानी संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर, रीवा के समक्ष पेश की गई, जो दिनांक 26.09.12 को ग्राह्य की गई। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि धारा 5 अवधि अधिनियम के अधीन कोई आवेदन स्वीकार हुआ होता है, तो संहिता की धारा 46 के अंतर्गत निगरानी हो सकती थी, किन्तु यदि धारा 5 का आवेदन निरस्त हुआ और साथ ही अपील भी अंतिम रूप से निरस्त हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में निगरानी संहिता की धारा 50 के अंतर्गत नहीं हो सकती। अनुविभागीय अधिकारी, गुढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2011 पूर्णतः अंतिम आदेश है और अंतिम आदेश को अंतर्गत धारा 50 के अधीन निगरानी दायर कर चुनौती नहीं दी जा सकती। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, रीवा द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर ध्यान दिये बिना ही आदेश पारित किया है, जो स्थिर रखें जाने योग्य नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी प्रचलन योग्य न् होने से निरस्त किया जाकर, प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार गुढ़ के न्यायालय में ग्राम बड़ागांव तहसील, गुढ़ जिला—रीवा स्थित आराजी खसरा नंम्बर 2477/1 रकबा 0.15 एकड़, 2477/2 रकबा 0.43 एकड़ 248/1 रकबा 0.88 एकड़, 2488 रकबा 0.48 एकड़ 2489 रकबा 0.18 एकड़ 2490 रकबा 0.63 एकड़ कुल किता 6 रकबा 2.75

एकड़ के नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदक द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक 26अ/1965, डिक्री दिनांक 14.06.67 के अनुसार आवेदित भूमि पर अपना कब्जा दखल एवं स्वत्व बताते हुये नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर, इश्तहार जारी कर अनावेदकगणों को तलब किया गया । अनावेदक क्रमांक 1, 2 व 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित होने पर तहसील न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध संहिता की धारा 35(2) के तहत एकपक्षीय कार्यवाही की गई । इश्तहार प्रकाशन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। हल्का पटवारी द्वारा भी प्रतिवेदन दिनांक 14.03.07 में आवेदित भूमियों पर आवेदक का कब्जा दखल होना बताया गया ।

6/ प्रकरण में प्रस्तुत व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.67 का अवलोकन किया गया, जिसमें व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 26अ/1965, निर्णय दिनांक 14.06.67 से अनुलग्न, स, ब, द, 2, व क को डिक्री का अंग होना घोषित किया गया है। अनुलग्न "क" के मुताबिक आवेदकगण के पिता रामानन्द आदि का मतरूका से 1/5 हिस्सा, भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 व 110 के अंतर्गत आवेदन स्वीकार किया गया है। व्यवहार न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी को आदेशित किया गया कि रामप्रपन्न तनय स्व0 रामानन्द एवं रामबक्श तनय स्व0 रामानन्द, निवासी–ग्राम हर्दी का नाम अभिलेख में दर्ज किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी ने भी अपने विस्तृत आदेश दिनांक 08.03.2011 में तहसीलदार, गुढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.07 की पुष्टि की है, जो कि विधिनुकूल है। किन्तु अपर कलेक्टर रीवा ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान न देते हुये मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है। अपर कलेक्टर रीवा ने सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन ही नहीं किया है, जबकि सिविल न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालयों में बंधनकारी होता है। अतः अपर कलेक्टर, रीवा का आदेश निरस्तीय योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा चुका है। सिविल न्यायालय द्वारा आवेदकगण के पक्ष में निर्णय एवं डीक्री जारी किया गया है। चूँकि सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों में बंधनकारी है। वर्तमान प्रकरण में सिविल न्यायालय द्वारा विस्तृत डिक्री पारित की गई है, ऐसे में उसमें हस्तक्षेप की आवश्कता की अधिकारिता प्रतीत

नहीं होती। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है, फलतः निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2012 विधिनुकूल न होने से निरस्त किया जाता है, अनुविभागीय अधिकारी, गुढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2011 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो। अभिलेख वापिस हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,